रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 244] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 1971/पौष 3, 1893
No. 244] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 1971/PAUSA 3, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December 1971

G.S.R. 1961.—In exercise of the powers empowered by section 6A, read with sub-section (i) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Family Pension Scheme, 1971, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Scheme shall be called the Employees' Family Pension (fourth Amendment) Scheme, 1971.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees Family Pension Scheme, 1971, in sub-paragraph (2A) of paragraph 4, for the figures, letters and words "31st day of December, 1971" the figures, letters and words "30th day of April, 1972" shall be substituted.

[No. S-70012(7)/71-PF-II.]

D. S. NIM, Jt. Secy.

श्रम, रोजगार और पनर्वास मंत्रालय

(श्रम, और रोजगार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1971

सा० का० नि० 1961.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 6 क द्वारा सशक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:**—(1) इस स्कीम का नाम कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन (चतुर्थ संशोधन) स्कीम, 1971 होगा ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 में, पैरा 4 के उपपैरा (ख) में, "दिसम्बर, 1971 का 31 वां दिन" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "अप्रैल, 1972 का 30 वां दिन" अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० एस० 70012 (7)/71-पी एफ-II]

डी० एस० निमि, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971